एनएचपीसी लिमिटेड

और

ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई)

के मध्य

समझौता ज्ञापन

1. *यह समझौता ज्ञापन (एमओयू) 15 मई, 2009 को एनएचपीसी लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम) जिसका पंजीकृत कार्यालय एनएचपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद- 121003, हरियाणा में स्थित है (जिसे एतद्पश्चात "एनएचपीसी " कहा गया है)*

और

ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल इंडिया, जिसका कार्यालय बलवन्तराय मेहता विद्या भवन, मस्जिद मोठ, ग्रेटर कैलाश पार्ट-2, नई दिल्ली - 110048 में है (जिसे एतद्पश्चात "टीआईआई " कहा गया है) के मध्य किया गया है ।

(एनएचपीसी और टीआईआई को एतद्पश्चात पृथक रूप से "पार्टी" अथवा सम्मिलित रूप से "पार्टियां" कहा जाएगा) ।

क. रिश्वतखोरी तथा भ्रष्टाचार के व्यापक प्रसार एवं सामाजिक तथा आर्थिक अपराध को ध्यान में रखते हुए, जो भारत में अच्छे शासन तथा आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तथा हमारे समाज की नैतिक व्यवस्था को दूषित करता है ।

ख. यह देखते हुए कि भारत के भीतर सभी कंपनियां तथा प्रमुख संगठनों की रिश्वतखोरी तथा भ्रष्टाचार के सभी रूपों तथा प्रकारों को रोकने की एक समान जिम्मेवारी है ।

ग. यह मानते हुए कि इस क्षेत्र में प्रगति प्राप्त करने हेतु न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि व्यक्तिगत, कम्पनी अथवा सरकारी विभागों के स्तर पर भी धारणीय प्रयासों की आवश्यकता होती है ।

घ. ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल-इंडिया (टीआईआई) और अन्य गैर-सरकारी संगठनों तथा साथ ही ओएनजीसी/कोल इंडिया/गेल/एनटीपीसी/बीएचईएल जैसे व्यापारिक संगठनों के प्रयासों की सराहना करते हुए ।

2. एनएचपीसी भारत तथा विदेश में जल विद्युत परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, डिजाइन, निर्माण, संचालन तथा अनुरक्षण में कार्यरत सबसे बड़ा एवं प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है । एनएचपीसी अपना व्यापार उच्चतम नैतिक मानदण्डों के साथ करता है । यह कई राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बिडर, संविदाकारों तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रेताओं (काउंटर पार्टियों) के साथ व्यापार करता है । एनएचपीसी अत्यधिक नैतिक एवं भ्रष्टाचार मुक्त व्यापार परिवेश को बनाने के लिए प्रतिबद्ध है । एनएचपीसी अपने सभी काउंटर पार्टियों से अपने आपसी संबंधों को महत्व देता है और उनके साथ एक उचित एवं पारदर्शी तरीके से कारोबार करता है ।

3. सत्यनिष्ठता समझौता ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल द्वारा विकसित एक अस्त्र है जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी कम्पनी अथवा सरकारी विभागों और उनके आपूर्तिकर्ताओं के मध्य सभी क्रियाकलाप और लेन-देन एक उचित, पारदर्शी तथा भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से किए जाएं ।

4. एनएचपीसी तथा टीआईआई ने संलग्न सत्यनिष्ठता समझौते को केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के साथ परामर्श से विकसित किया है और एनएचपीसी इस सत्यनिष्ठता समझौते को अपने संगठन में क्रियान्वित कर रहा है । एनएचपीसी तथा अन्य संगठनों में सत्यनिष्ठता समझौते के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर इस सत्यनिष्ठता समझौते की प्रभावोत्पादकता में सुधार करने के लिए इसे और परिष्कृत किया जा सकता है ।

5. एनएचपीसी वास्तव में इस सत्यनिष्ठता समझौते को पूर्णतः तथा अक्षरशः क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

6. टीआईआई इस संबंध में एनएचपीसी को सपोर्ट देने और अपने साधनों के भीतर परामर्श तथा संसाधन मुहैया करवाने की प्रतिज्ञा करती है ताकि सत्यनिष्ठता समझौते कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन और इसके उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित किया जा सके ।

7. एनएचपीसी तथा टीआईआई के मध्य सत्यनिष्ठता समझौता कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में कोई मतभेद होने की स्थिति में वे उसे बातचीत तथा चर्चा के माध्यम से हल करने का संकल्प लेते हैं । यदि ऐसे मतभेदों का समाधान नहीं किया जा सकता है तो दोनों में से कोई भी पार्टी

दूसरी पार्टी को लिखित में 30 दिवस का नोटिस देकर इस समझौता ज्ञापन को समाप्त कर सकता है और इस समाप्ति की घोषणा केवल उसके प्रभावी होने के पश्चात ही सार्वजनिक की जाएगी । यह समझौता ज्ञापन तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इसे उक्त प्रावधान के अनुसार समाप्त न किया जाए ।

8. इस सत्यनिष्ठता समझौते के क्रियान्वयन की समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाएगी ।

इस समझौता ज्ञापन पर 15 मई, 2009 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए ।

कृते एवं एनएचपीसी की ओर से	कृते एवं टीआईआई की ओर से
हस्ता/-	**हस्ता/-**
एस.के.गर्ग	**एडमिरल आर.एच.तहीलियानी (सेवानिवृत्त)**
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**अध्यक्ष**
एनएचपीसी लिमिटेड	**ट्रान्सपेरेन्सी इंटरनेशनल इंडिया**
एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33,	**बलवन्तराय मेहता विद्या भवन,**
फरीदाबाद- 121003 (हरियाणा)	**मस्जिद मोठ, ग्रेटर कैलाश पार्ट-2,**
	नई दिल्ली - 110048